

मुकदमों का विवरण

फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकिंग पी. वी. टी. लिमिटेड. और ओ. आर. एस. बनाम.

अनिल ऋषिराज और ए. एन. आर.

(2011 की आपराधिक अपील सं. 2151) 21 सितंबर, 2023

[अभय एस. ओका और संजय करोल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या एफ. ई. आर. ए., 1973 के तहत नियुक्त प्रवर्तन कार्यालय के पास धाराओं की उप-धारा (3) में प्रदान की गई सूर्यास्त अवधि की समाप्ति से पहले एफ. ई. आर. ए. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शिकायत दर्ज करने का अधिकार या क्षमता बनी रही।⁴⁹ फेमा, 1999।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999-विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973-प्रथम प्रत्यर्थी, जो धाराओं के खंड (ई) के तहत नियुक्त एक प्रवर्तन अधिकारी था।³ एफ. ई. आर. ए., एफ. आई. ने एफ. ई. आर. ए. और एस. के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत का नेतृत्व किया।¹²⁰-आई. पी. सी. का बी-मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान-इसे उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) को धारा 1 की उप-धारा (1) के आधार पर लागू किया गया था।⁴⁹ फेमा के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (एफ. ई. आर. ए.) को निरस्त कर दिया गया-मामले के तथ्यों में, मजिस्ट्रेट द्वारा धाराओं की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई दो साल की सूर्यास्त अवधि के भीतर संज्ञान लिया गया था।⁴⁹ एफ. ई. एम. ए.-शिकायत का नेतृत्व प्रथम प्रतिवादी द्वारा किया गया था, जो धाराओं के खंड (ई) के तहत नियुक्त एक प्रवर्तन अधिकारी था।³ एफ. ई. आर. ए. की-धाराओं की उप-धारा (2) के खंड (2) के उपखंड (बी) के तहत शक्ति।⁶¹ केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किया गया था और सभी प्रवर्तन अधिकारियों को दंडनीय यू/एस के संबंध में शिकायतों को दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया था।⁵⁶ और एफ. ई. आर. ए. का 57-यहाँ जो सामग्री है वह एस की उप-धारा (4) है।⁴⁹ एफ. ई. एम. ए. का, जो उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए यह प्रावधान करता है, ⁴²²

421

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

निरसित अधिनियम के तहत निरसित अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होता रहेगा जैसे कि वह अधिनियम निरसित नहीं किया गया था-धाराओं की उप-धारा (3)।⁴⁹ अभियोजन पक्ष को दंडनीय यू/एस एस के लिए बचाता है।⁵⁶ और 57, जो एफ. ई. आर. ए. के निरसन से पहले किए गए हैं, बशर्ते कि सक्षम न्यायालय एफ. ई. एम. ए. के लागू होने की तारीख से दो साल के भीतर अपना संज्ञान ले-धाराओं की उप-धारा (4) को देखते हुए।⁴⁹, दंडनीय यू/एस. एस. के अभियोजन के प्रयोजनों के लिए।⁵⁶ और एफ. ई. आर. ए. का 57, एक कानूनी आदेश द्वारा, निरस्त अधिनियम के प्रावधान लागू होते रहेंगे-हालाँकि, वे केवल उन अपराधों के अभियोजन के उद्देश्यों के लिए लागू होते रहेंगे जो धाराओं की उप-धारा (3) द्वारा सहेजे गए हैं।⁴⁹ एफ. ई. एम. ए.-इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में शिकायत, धाराओं की उप-धारा (2) के खंड (ii) के तहत विधिवत अधिकृत है।⁶¹ फेमा की धारा, धाराओं की उप-धारा (4) में शामिल कानूनी प्रावधान के आधार पर वैध बनी रहेगी।⁴⁹, अभियोजन पक्ष एफ. ई. आर. ए. के प्रावधानों द्वारा शासित होता रहेगा जैसे कि उन्हें निरस्त नहीं किया गया था।[पैरा 10 और 11]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मेसर्स पी. वी. मोहम्मद बारमे सन्स बनाम प्रवर्तन निदेशक 1993

पूरक (2) एस. सी. सी. 724:[1992] 3 एस. सी. आर. 960-पर निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2011 की आपराधिक अपील No.2151।

2008 के सी. आर. एल. ए. No.1982 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 03.02.2010 से।

रूपः

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, ब्रज किशोर मिश्रा, अभिषेक यादव, प्रस्तुत दलवी, रुचित मोहन, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मारोरिया, अमन शर्मा, सुश्री चित्रागदा रस्तवारा, शाश्वत आनंद, जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, श्रीरंग बी. वर्मा, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भरत बागला, सौरव सिंह, आदित्य कृष्ण, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

423

फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकिंग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.अनिल ऋषिराज 424

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अभय एस. ओकेए, जे.

वास्तविक पहलू

1. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (संक्षेप में, 'फेमा') को 1 जून 2000 से लागू किया गया था।फेमा की धारा 49 की उप-धारा (1) के आधार पर, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, 'फेरा') को निरस्त कर दिया गया।11 फरवरी 2002 को, प्रथम प्रतिवादी, जो एफ. ई. आर. ए. की धारा 3 के खंड (ई) के तहत नियुक्त एक प्रवर्तन अधिकारी था, ने एफ. ई. आर. ए. और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एस्प्लेनेड, मुंबई की अदालत में एक शिकायत का नेतृत्व किया।11 फरवरी 2002 को प्रक्रिया जारी करने का आदेश पारित करके उक्त शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तीसरा न्यायालय, एस्प्लेनेड, मुंबई द्वारा संज्ञान लिया गया था।2. अपीलार्थियों ने आरोपमुक्त करने के लिए अलग-अलग आवेदन किए, लेकिन विद्वान अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने आवेदनों को खारिज कर दिया।अस्वीकृति के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण आवेदन भी खारिज कर दिया गया था।उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'Cr.PC') की धारा 482 के तहत एक आवेदन अपीलार्थियों के नेतृत्व में दायर किया गया था, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 3 फरवरी 2010 के विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया है।

प्रस्तुतियाँ

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ दवे ने हमें एफ. ई. आर. ए. और एफ. ई. एम. ए. के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में बताया है। चूंकि उच्च न्यायालय ने शिकायत के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है, इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी शिकायत के गुण-दोष पर दलीलें नहीं दी हैं।उन्होंने कहा कि एफ. ई. आर. ए. की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के तहत, धारा 56 और 57 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान केवल अदालत द्वारा उप-धारा के खंड (ii) के उप-खंड (ए) से (सी) के तहत एक अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत पर लिया जा सकता है।

[2023] 12 एस सी आर।

(2) एफ. ई. आर. ए. की धारा 61। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के उप-खंड (b) के तहत, केवल प्रवर्तन निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा इस ओर से लिखित रूप में अधिकृत एक अधिकारी को शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि एफ. ई. आर. ए. की धारा 3 में प्रवर्तन अधिकारियों के विभिन्न वर्गों/श्रेणियों की नियुक्ति का प्रावधान है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एफ. ई. आर. ए. की धारा 3 के तहत की गई अधिकारियों की नियुक्ति को धारा 49 द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है, जो कि एफ. ई. एम. ए. के तहत एक बचत और निरसन प्रावधान है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रथम प्रतिवादी-प्रवर्तन अधिकारी को एफ. ई. आर. ए. की धारा 3 के खंड (ई) के तहत नियुक्त किया गया था और इस प्रकार, 1 जून 2000 से प्रभावी होने के साथ, उक्त अधिकारी को एफ. ई. आर. ए. के तहत प्रवर्तन अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त शक्तियों को बचाया नहीं गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह मानते हुए कि एफ. ई. आर. ए. की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (ii) को देखते हुए, एफ. ई. एम. ए. की धारा 49 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई सूर्यास्त अवधि के भीतर संज्ञान लिया जाता है, केवल एक अधिकृत अधिकारी ही शिकायत का नेतृत्व कर सकता था और मामले के तथ्यों में, प्रवर्तन अधिकारी जो पहले अधिकृत किया गया हो सकता है, 1 जून 2000 से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है, वह एक प्रवर्तन अधिकारी नहीं रह गया। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि न्यायालय उस शिकायत का संज्ञान लेने के लिए शक्तिहीन था जिसका नेतृत्व एक अधिकारी ने किया था जो अधिकृत नहीं था। 4. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि फेमा की धारा 49 की उप-धारा (4) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों का पूरा जवाब है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एफ. ई. आर. ए. के तहत नियुक्त प्रवर्तन कार्यालय के पास एफ. ई. एम. ए. की धारा 49 की उप-धारा (3) में प्रदान की गई सूर्यास्त अवधि की समाप्ति से पहले एफ. ई. आर. ए. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शिकायत दर्ज करने का अधिकार या क्षमता बनी हुई है।

प्रस्तुतियों का समावेश

5. जैसा कि फेमा के उद्देश्यों और कारणों के बयान से देखा जा सकता है, विधायिका ने देखा कि 1993 के बाद, हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त वृद्धि, विदेशी व्यापार में वृद्धि, शुल्कों को तर्कसंगत बनाना, विदेशों में भारतीय निवेश का उदारीकरण, भारतीय निगमों द्वारा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों तक पहुंच में वृद्धि और शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विकास हुए। पूरी तरह से बदले हुए वातावरण को ध्यान में रखते हुए, एफ. ई. आर. ए. को निरस्त करके, 425

फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकिंग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेमा को कानून की पुस्तक में लाया गया था। फेमा के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि इसकी योजना और फेरा की योजना के बीच अंतर है। फेमा के अध्याय IV के तहत दंड के लिए विस्तृत प्रावधान हैं, और दंडात्मक प्रावधान फेमा की धारा 13 की उप-धारा (1 सी) तक सीमित है। जबकि एफ. ई. आर. ए. की धारा 56 और धारा 57 इस मायने में अधिक कठोर थीं कि वे उल्लंघनों की एक बहुत बड़ी श्रेणी को शामिल करती थीं।

6. धारा 56 और 57 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने की प्रक्रिया एफ. ई. आर. ए. की धारा 61 में प्रदान की गई थी। धारा 61 इस प्रकार है:

“61. ऑफ एनसेस का संज्ञान।—

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट के लिए धारा 56 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को तीन साल से अधिक की अवधि के लिए या पांच हजार रुपये से अधिक की सजा देना विधिसम्मत होगा।]

(2) कोई भी न्यायालय (i) धारा 44 की उप-धारा (2) या धारा 58 की उप-धारा (1) के तहत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(क) जहां केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा, प्रवर्तन के सहायक निदेशक से कम रैंक के प्रवर्तन के किसी अधिकारी द्वारा अपराध करने का आरोप लगाया गया है;

((ख) जहां प्रवर्तन निदेशक की पूर्व मंजूरी को छोड़कर, प्रवर्तन के सहायक निदेशक से निचले रैंक के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपराध करने का आरोप लगाया गया है; या

((ii) धारा 56 या धारा 57 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का, सिवाय इसके कि -

((क) प्रवर्तन निदेशक; या

अनिल ऋषिराज [अभय एस. ओका, जे.] 426 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

(ख) प्रवर्तन निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में प्राधिकृत कोई भी अधिकारी; या (ग) किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी:

बशर्ते कि जहां ऐसा कोई अपराध इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन है जो बिना अनुमति के किसी कार्य को करने से रोकता है, तो ऐसी कोई शिकायत तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि अपराध के आरोपी व्यक्ति को यह दिखाने का अवसर नहीं दिया गया है कि उसके पास ऐसी अनुमति थी।" (जोर जोड़ा गया) 7. एक आपराधिक न्यायालय को केवल धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (ए) से (सी) के उपखंड (ए) से (सी) तक की श्रेणियों के एक अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत पर एफ. ई. आर. ए. की धारा 56 और 57 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया था। प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति एफ. ई. आर. ए. की धारा 3 के खंड (ई) के तहत की गई थी। 24 सितंबर 1993 को एफ. ई. आर. ए. की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (2) के उप-खंड (बी) के तहत जारी एक अधिसूचना द्वारा, सभी प्रवर्तन अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों को एफ. ई. आर. ए. की धारा 56 और 57 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया था।

8. अब, हम "निरसन और बचत" शीर्षक के तहत फेमा की धारा 49 की ओर मुड़ते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, धारा 49 की उप-धारा (1) ने एफ. ई. आर. ए. के प्रावधानों को निरस्त कर दिया। उप-धारा (3) से (5) 'बचत' से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

"49. रद्द करें और बचत करें।—

(1)

(2)

(3) तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी अदालत निरस्त अधिनियम के तहत किसी उल्लंघन का संज्ञान नहीं लेगी और कोई भी न्यायनिर्णायक अधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद निरस्त अधिनियम की धारा 51 के तहत किसी भी उल्लंघन का संज्ञान नहीं लेगा।

(4) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निरस्त अधिनियम के तहत किए गए सभी अपराध निरस्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होते रहेंगे जैसे कि उस अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया था।

(5) ऐसे निरसन के होते हुए भी, (क) किया गया कुछ भी कार्य या की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई अधिसूचना, निरीक्षण, आदेश या जारी की गई या जारी की गई कोई नियुक्ति, स्वीकारोक्ति या घोषणा या दिया गया कोई लाइसेंस, अनुमति, प्राधिकरण या छूट या निष्पादित कोई दस्तावेज या साधन या इसके द्वारा निरसित अधिनियम के तहत दिया गया कोई निर्देश, जहां तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा।

(ख) निरसित अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) के तहत अपीलीय बोर्ड को दी गई कोई भी अपील, जिसका इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले निपटारा नहीं किया गया है, इस अधिनियम के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा; (ग) निरसित अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत अपीलीय बोर्ड के किसी भी निर्णय या आदेश से प्रत्येक अपील, यदि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले नहीं की जाती है, तो ऐसे प्रारंभ के साठ दिनों की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाएगी:

बशर्ते कि उच्च न्यायालय साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद ऐसी अपील पर विचार कर सकता है यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को उक्त अवधि के साथ अपील करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।"

(जोर जोड़ा गया) 9.आक्षेपित निर्णय से, यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुतियाँ अपीलार्थियों की ओर से की गई थीं कि उप-धारा (3) में "और" शब्द को "या" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और इसलिए, एफ. ई. आर. ए. के निरसन के बाद एफ. ई. आर. ए. के तहत अपराध का संज्ञान लेने पर रोक है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर विस्तार से और विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियाँ इस आधार पर आगे बढ़ती हैं कि एफ. ई. आर. ए. की धारा 56 और 57 के तहत दंडनीय अपराध करने और उसका संज्ञान लेने का आरोप लगाने वाली लिंग शिकायतों के लिए एफ. ई. एम. ए. की धारा 49 की उप-धारा (3) में प्रदान की गई दो साल की सूर्यास्त अवधि उपलब्ध है।

10. मामले के तथ्यों में, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा फेमा की धारा 49 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई दो साल की सूर्यास्त अवधि के भीतर संज्ञान लिया गया था।

11. हमने प्रथम प्रतिवादी के नेतृत्व में शिकायत का अध्ययन किया है। शिकायत का नेतृत्व प्रथम प्रतिवादी ने किया है, जो संबंधित समय पर, एफ. ई. आर. ए. की धारा 3 के खंड (ई) के तहत नियुक्त एक प्रवर्तन अधिकारी था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (2) के उप-खंड (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा किया गया था और सभी प्रवर्तन अधिकारियों को एफ. ई. आर. ए. की धारा 56 और 57 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि प्रथम प्रत्यर्थी-प्रवर्तन अधिकारी, एफ. ई. आर. ए. की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (ii) में दिए गए प्रावधान के अनुसार शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत था। यहां जो सामग्री है वह फेमा की धारा 49 की उप-धारा (4) है, जो यह प्रावधान करती है कि उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, निरस्त अधिनियम के तहत किए गए सभी कार्य निरस्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होते रहेंगे जैसे कि उस अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया था। धारा 49 की उप-धारा (3) अभियोजन पक्ष को धारा 56 और 57 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बचाती है, जो एफ. ई. आर. ए. के निरसन से पहले किए गए हैं, बशर्ते कि सक्षम न्यायालय एफ. ई. एम. ए. के लागू होने की तारीख से दो साल के भीतर अपना संज्ञान ले। धारा 49

की उप-धारा (4) को ध्यान में रखते हुए, एफ. ई. आर. ए. की धारा 56 और 57 के तहत दंडनीय अपराधों के अभियोजन के प्रयोजनों के लिए, एक कानूनी आदेश द्वारा, निरस्त अधिनियम के प्रावधान लागू होते रहेंगे। हालाँकि, यह केवल उन अपराधों के अभियोजन के उद्देश्यों के लिए लागू रहेगा जो फेमा की धारा 49 की उप-धारा (3) द्वारा सहेजे गए हैं। इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में एफ. ई. एम. ए. की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के तहत विधिवत अधिकृत शिकायत वैध बनी रहेगी, क्योंकि धारा 49 की उप-धारा (4) में शामिल कानूनी प्रावधान के आधार पर अभियोजन पक्ष एफ. ई. आर. ए. के प्रावधानों द्वारा शासित होता रहेगा जैसे कि उन्हें निरस्त नहीं किया गया था। इसलिए, सूर्यास्त की अवधि के दौरान, 429

फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकिंग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी. अनिल ऋषिराज [अभय एस. ओका, जे.] 430

शिकायतों को दर्ज करने के लिए प्रवर्तन कार्यालय का प्राधिकरण फेमा की धारा 49 की उप-धारा (3) के सीमित उद्देश्यों के लिए मान्य बना हुआ है। 12. यदि अपीलार्थियों की दलीलें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो एफ. ई. आर. ए. की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (2) के उप-खंड (बी) के तहत नामित अधिकारी को दो साल की सूर्यास्त अवधि के भीतर भी एफ. ई. आर. ए. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शिकायतें दर्ज करने का अधिकार नहीं होगा। इस तरह की व्याख्या न्यायालय को एफ. ई. आर. ए. की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के तहत अधिकृत एक अधिकारी द्वारा एफ. ई. आर. ए. के निरसन के बाद की गई शिकायत पर एफ. ई. आर. ए. के निरसन के बाद संज्ञान लेने से रोकेगी। इस प्रकार, फेमा की धारा 49 की उप-धारा (3) में प्रदान की गई दो साल की सूर्यास्त अवधि के दौरान कोई शिकायत नहीं की जा सकती है। किसी कानून की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि उसके किसी भी प्रावधान को अनुचित माना जाए। इसलिए, हम अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। कोई भी निर्माण जो विधायिका के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा, उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय को उस व्याख्या को अपनाना चाहिए जो कानून के प्रावधानों को व्यवहार्य बनाती है।

13. एफ. ई. आर. ए. द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, 'एफ. ई. आर. ए., 1947') को निरस्त कर दिया गया। निरस्तीकरण प्रावधान एफ. ई. आर. ए. की धारा 81 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान किया गया है। यह न्यायालय, मेसर्स पी. वी. के मामले में।

मोहम्मद बारमे सन्स बनाम प्रवर्तन निदेशक 1, व्याख्या खंड

(क) एफ. ई. आर. ए. की धारा 81 की उप-धारा (2) का। एफ. ई. आर. ए. की धारा 81 की उप-धारा (2) का खंड (ए) इस प्रकार है:

“81. निरसन और बचत -

(1) (2) (क) कुछ भी किया गया हो या कोई कार्रवाई की गई हो या कोई कार्रवाई की गई हो या की गई हो (जिसमें कोई नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, आदेश या नोटिस जारी किया गया हो या जारी किया गया हो, या कोई नियुक्ति, स्वीकारोक्ति या घोषणा की गई हो या कोई लाइसेंस, अनुमति, प्राधिकरण या छूट दी गई हो या कोई दस्तावेज या साधन निष्पादित किया गया हो या कोई निर्देश दिया गया हो या कोई कार्यवाही की गई हो या कोई आश्वासन दिया गया हो।

1 1993 पूरक (2) एस. सी. सी. 724

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

जहां तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया है या लिया गया है;

(ख); (ग); (घ):(3) ”

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा एफ. ई. आर. ए. के तहत अधिकारियों की जांच करने और इसके निरसन के बाद एफ. ई. आर. ए., 1947 के तहत किए गए दायित्व और दंड को लागू करने की शक्ति के बारे में था। उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 7 से 9 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“7. श्री तुलसी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा व्यक्त किया

ओ. अब्दुल अजीज़ बनाम अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक [ए. आई. आर. 1983 मैड 59:(1982) 2 एम. एल. जे. 359] और ए. के. एल. लब्बई थंबी मराइकर बनाम भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय [ए. आई. आर. 1983 मैड 102:(1982) 2

एम. एल. जे. 59] ने तर्क दिया कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 81 (2) को देखते हुए, प्रत्यर्थियों की जांच करने और निरस्त अधिनियम के तहत किए गए दायित्व या दंड को लागू करने की शक्ति बची हुई है, हालांकि 1947 के अधिनियम 7 को अधिनियम की धारा 81 की उप-धारा (2) के तहत निरस्त कर दिया गया है। का विवाद

प्रत्यर्थी का कहना है कि 1973 में अधिनियम के लागू होने के बाद निरस्त अधिनियम एक मृत शव है और अधिनियम की धारा 81 (2) या सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 की सहायता से इसमें कोई भी जीवन नहीं उड़ाया जा सकता है। विवाद में हमारा कोई बल नहीं है। धारा 81 की उप-धारा (2) के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के खंड (ई) के संचालन द्वारा निरस्त अधिनियम का प्रभाव यह है कि, हालांकि अधिनियम 1947 के अधिनियम 7 के संचालन को समाप्त कर देता है, इसके निरसन के बावजूद, निरस्त अधिनियम के लागू होने के दौरान किए गए कार्यों के लिए जुर्माना, दायित्व, ज़बती या अभियोजन को जीवित रखा गया था, हालांकि निरस्त अधिनियम के लागू होने पर इसके तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके संचालन के दौरान अर्जित या उपार्जित अधिकार या उपार्जित देनदारियाँ या कोई जुर्माना, ज़ब्त या सजा 431 रखी जाती है।

फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकिंग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी. अनिल ऋषिराज [अभय एस. ओका, जे.] 432

जीवित है। की जाने वाली जाँच या कोई भी उपाय जो निरसन को लागू करने से पहले उपलब्ध हो सकता है, उन्हें भी संरक्षित किया जाता है। ऐसे अधिकार, देनदारियाँ, जुर्माना, ज़ब्त या सजा, निरसन के कारण “समाप्त नहीं होंगे”। इस प्रकार, बचत खंड का उद्देश्य कानूनी प्रभाव और किए गए कार्यों के परिणामों को संरक्षित करना था, हालांकि उन प्रभावों और परिणामों को निरस्त करने के बाद की अवधि के लिए अनुमानित किया गया था। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 81 (2) या धारा 6 या दंड या दंड या दंड में संवर्धित कार्यों में यह परिकल्पना की गई है कि जो कार्य पहले ही किए जा चुके हैं या देनदारियाँ, दंड या ज़ब्त किया गया है, हालांकि अधिनियम के लागू होने से पहले हुआ था, अधिनियम की धारा 81 (2) देनदारियों, दंड आदि को इस तरह समाप्त करने का अधिकार देती है जैसे कि वे अस्तित्व में हैं और अधिनियम के तहत या धारा के संचालन द्वारा निरस्त अधिनियम के तहत आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी हैं।

6 सामान्य खंड अधिनियम। 1947 के अधिनियम 7 के निरस्तीकरण से जो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वह अर्जित अधिकार आदि हैं। अर्जित या उपार्जित अधिकार या दायित्व, जुर्माना, ज़ब्त, दंड और अधिकार के अधिग्रहण के लिए कानूनी कार्यवाही को लागू करने के लिए कानूनी कार्यवाही के बीच एक अंतर है, जिसमें पहले वाले को बचा लिया जाता है जबकि बाद वाले को नहीं। में।

जाँच या कानूनी कार्यवाही करने के अधिकार को निरस्त करने के बावजूद अप्रचलित और संरक्षित रहता है जैसे कि पुराना अधिनियम अभी भी लागू है। अधिनियम के लागू होने के बाद क्या किया जाना बाकी है, यदि आवश्यक हो, तो उचित जांच और कानूनी कार्यवाही के बाद और यदि दंड, ज़बती या सजा देने के लिए साबित होता है। न्यायालय ऑफ एंडर या किए गए कार्यों का

नहीं, बल्कि ऑफ एंडर का संज्ञान लेता है। न्यायालय को इस बात की जांच करनी है कि क्या यह अधिनियम निरस्त अधिनियम के साथ असंगत है और क्या यह निरस्त अधिनियम के विपरीत इरादे को प्रकट करता है। जब तक अधिनियम में कोई अलग इरादा प्रकट नहीं किया गया है, तब तक निरस्त अधिनियम लागू रहेगा। खाली रद्द करने के मामले में भी

उसी विषय पर एक नए कानून के साथ, नए अधिनियम के प्रावधानों को इस बात पर गौर करना होगा कि नया अधिनियम सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के संचालन को प्रभावित करने वाले विपरीत इरादे की परिकल्पना करता है। जब तक इस तरह के विपरीत इरादे को प्रकट नहीं किया जाता है, तब तक निरस्त अधिनियम के तहत देनदारियां, दंड, ज़ब्त या सजा मौजूद रहेगी और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के संचालन से लागू रहेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

8. हम पहले ही देख चुके हैं कि अधिनियम का कोई विपरीत इरादा नहीं था। इसने केवल अंतिम शासन में काम करने वाले पहले के कानून को दोहराया।

इसलिए, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 का खंड (डी) अधिनियम के निरसन से पहले किए गए कार्यों या ज़ब्त करने के दंड या किसी भी अपराध के लिए सजा की ओर आकर्षित होता है, हालांकि इसके निरसन से पहले निरस्त अधिनियम के तहत वास्तव में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

9. तिवारी कन्हैयालाल बनाम सी. आई. टी. [(1975) 4 एस. सी. सी. 101:1975 एससीसी (कर) 214:1975 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 312] जहाँ आयकर अधिनियम, 1922 के निरसन के बाद अभियोजन चलाया गया था, वहाँ यह तर्क उठाया गया था कि 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 297 में खंडों को बचाने से निरस्त अधिनियम के तहत दी गई सजा को नहीं बचाया जा सकता है, इसलिए, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 का सहारा नहीं लिया जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निरसन ने आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 52 के तहत किए गए दायित्व को प्रभावित नहीं किया था और यह इसके निरसन के बाद भी जारी रहा। सी. आई. टी. बनाम मेसर्स शाह सादिक एंड संस [(1987) 3 एस. सी. सी. 516, 524 में भी यही विचार दोहराया गया था: 1987 एस. सी. सी. (कर) 270]। तदनुसार, हमारा मानना है कि धारा 81 (2) के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के संचालन द्वारा 1947 के अधिनियम 7 के निरसन के बावजूद, अपीलार्थी द्वारा लगाया गया जुर्माना बना रहा और प्रत्यर्थियों को कार्यवाही शुरू करने, जांच या जांच करने और ऐसा जुर्माना लगाने का अधिकार है।"

(जोर जोड़ा गया) 14। इसलिए, पहले के पैराग्राफ में हमारे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उपरोक्त निर्णय से पुष्ट होता है।

15. अपील विफल हो जाती है, और तदनुसार, उसे खारिज कर दिया जाता है। चूंकि शिकायत पर 7 जनवरी 2011 से रोक लगी हुई थी, इसलिए हम निचली अदालत को निर्देश देते हैं कि वह इस अपील का विषय CC.No.14/CW/2002 वाली शिकायत के निपटारे को आवश्यक प्राथमिकता दे।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान